



# HAPUR POLICE



## OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग लडकी से छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 11.03.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग लडकी से छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में 01 आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 29.01.2021 को अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र महेश सिंह निवासी ग्राम रघुनाथपुर थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग लडकी के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 47/2021 धारा 354, 323, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 03.03.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।
- मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 11.03.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल/पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री शिव कुमार, पैरोकार का0 अजय व कोर्ट मोहरीरि है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा ।

